

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,  
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 22 जून, 2018

विषय- जनपद हरिद्वार के नगर पंचायत भगवानपुर की खानपुर जोन पेयजल योजना के निर्माण से संबंधित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 808/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/38 दिनांक 26 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर, नागर (एस0सी0पी0) कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के नगर पंचायत भगवानपुर की खानपुर जोन पेयजल योजना के निर्माण से संबंधित कार्यों का विस्तृत प्राक्कलन रू0 167.15 लाख पर विभागीय टी0 ए0 सी0 उपरांत निर्माण कार्य हेतु रू0 108.67 लाख, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अंतर्गत रू0 38.37 लाख एवं सैन्टेज रू0 17.91 लाख कुल रू0 164.95 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 1617/उन्तीस (2)/17 -2(217पे0)/2016 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के द्वारा प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष, 2016-17 में रू0 65.98 लाख (रू0 पैसठ लाख अठानब्बे हजार मात्र) की अवमुक्त की गयी धनराशि को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 98.97 लाख में से वित्तीय वर्ष, 2018-19 में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वनत में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) शासनादेश संख्या- 1617/उन्तीस (2)/17 -2(217पे0)/2016 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 की शेष शर्तें पूर्ववत यथावत रहेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक 4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति-05-नगरीय पेयजल-01- नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान - 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

3- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1806301049 दिनांक 20 जून,2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 519/150(3)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश 519/150(3)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 में दिये गये दिशा- निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान )  
संयुक्त सचिव

पू0सं0 1298 /उन्तीस(2) /18-2(217पे0) /2016 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट निदेशालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-02
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
7. मीडिया सैन्टर सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)  
संयुक्त सचिव